प्राक्कथन

(लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति)

उत्पत्ति

सरकार में लाभ के पद को धारण करने वाले व्यक्ति को विधान मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और उसका सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित मानने का सिद्धांत लोकतांत्रिक सरकारों में इस आवश्यकता से उत्पन्न हुआ कि विधान मंडल में लाभ के पद धारण करने वाले व्यक्तियों का अनुचित अनुपात होने के कारण विधायिका पर कार्यपालिका के नियंत्रण और प्रभाव को सीमित किया जा सके। तथापि, कार्यपालिका तथा विधान मंडल के मध्य प्रभावी समन्वय के महत्व के दृष्टिगत मंत्रियों तथा कुछ अन्य प्राधिकारियों जैसे कतिपय पदधारकों के मामले में अपवाद की आवश्यकता महसूस की गई है।

यह सिद्धांत संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के संबंध में भारत के संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 102(1)(क) और 191(1)(क) में शामिल है, जिसका पाठ इस प्रकार है:-

"कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा-

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।

स्पष्टीकरण

[इस खंड के प्रयोजनों के लिए] कोई व्यक्ति केवल उस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।''

संविधान के उपबंध का आशय दो उद्देश्यों को प्राप्त करने का है, (एक) विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, और (दो) जिस व्यक्ति को विधायक एवं कार्यपालिका का सदस्य, दोनों रूपों में भूमिका निभानी हो, उनके कर्तव्य और हित के बीच टकराव की संभाव्यता का निवारण।

अनुच्छेद 102(1)(क) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि इन अधिनियमों में से किसी से भी स्थिति की अपेक्षाएं व्यापक रूप से पूरी नहीं हुईं और लोक सभा अध्यक्ष ने राज्य सभा के सभापति से परामर्श करके 21 अगस्त, 1954 को पं. ठाकुर दास भार्गव के सभापतित्व में लाभ के पदों संबंधी समिति (इसमें इसके पश्चात भार्गव समिति कहा गया है) नियुक्त की।

भार्गव समिति ने नवम्बर, 1955 के दौरान अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। भार्गव समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने 5 दिसम्बर, 1957 को संसद (निरर्हता निवारण) विधेयक लोक सभा में पुर:स्थापित किया। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दिया गया और 10 सितम्बर, 1958 को समिति का प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

संसद ने संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 पारित किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कौन से पदों से उनके धारक संसद की सदस्यता से निरर्ह नहीं होंगे। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि यदि किसी कानूनी या अकानूनी निकाय/कंपनी का कोई सदस्य/ निदेशक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है तो वह उन भत्तों को पाने के कारण सदस्यता के लिए निरर्ह नहीं समझा जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत 'प्रतिकरात्मक भत्ते' की यह परिभाषा दी गई है धन की वह 'राशि जो किसी पद के धारक को उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद सदस्य, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन हकदार है), किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय हैं।

संयुक्त समिति (1958) ने अनुसूची और नए पदों की निरंतर संवीक्षा का कार्य करने के लिए संसदीय स्थायी समिति की नियुक्ति हेतु भार्गव समिति की सिफारिश को दोहराया। इस प्रकार, दूसरी लोक सभा की शेष अवधि के लिए लाभ के पदों संबंधी संसदीय संयुक्त समिति का गठन पहली बार विधि मंत्रालय में उप-मंत्री श्री आर.एम. हाजरनवीस द्वारा 3 अगस्त, 1959 को लोक सभा में पेश किए गए प्रस्ताव पर किया गया।

समिति की संरचना

समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 सदस्य लोक सभा सदस्यों में से और 5 राज्य सभा सदस्यों में से चुने जाते हैं। समिति का सभापति समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। समिति के गठन के पश्चात यह लोक सभा भंग होने तक कार्य करती है।

समिति के कार्य और कार्यक्षेत्र

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के कार्य निम्नलिखित हैं:

(एक) सभी विद्यमान 'समितियों' तथा इसके पश्चात गठित की जाने वाली उन सभी 'समितियों' की रचना तथा स्वरूप की जांच करना जिसकी सदस्यता के कारण कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्ह हो सकता है;

(दो) इसके द्वारा जांच की गई 'समितियों' के संबंध में यह सिफारिश करना कि किन पदों के कारण निरर्हता होनी चाहिए तथा किन पदों के कारण नहीं; और

(तीन) संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची की समय-समय पर संवीक्षा करना तथा उक्त अनुसूची में किसी भी संशोधन की सिफारिश करना चाहे वह संशोधन परिवर्धन द्वारा हो अथवा लोप द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से।

समिति संसद सदस्यों, भारत सरकार के मंत्रालयों/ राज्य सरकारों या अन्य संस्थाओं से 'लाभ के पदों' के संबंध में प्राप्त किन्हीं प्रश्नों की भी जांच करती है।

समिति का कार्य

समिति का कार्यकरण लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम –चौदहवां संस्करण के (अर्थात् नियम 253 से 286 तक) संसदीय समितियों से संबंधित सामान्य नियमों के अंतर्गत होता है। अध्यक्ष के निदेश के नियम 389 तथा अन्य नियमों के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निदेश भी इन नियमों के पूरक नियम हैं।

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के गठन के पश्चात भारत सरकार के मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से उनके द्वारा गठित समितियों, आयोगों, बोर्डों आदि का ब्योरा देने का अनुरोध किया गया है, जिनकी अब तक लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा जांच नहीं की गई है। उनसे विद्यमान समितियों, आयोगों, बोर्डों आदि के संबंध में सूचना देने का अनुरोध किया गया है जिनकी लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है किंतु उनका पूर्व में समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद से गठन (सदस्यों का यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता आदि सहित) में बहुत बदलाव आ गया है।

मंत्रालयों आदि से प्राप्त सूचना की जांच की जाती है और एक ज्ञापन के रूप में संयुक्त समिति के समक्ष रखा जाता है जिसे सभापति के अनुमोदन के साथ समिति के सदस्यों में परिचालित किया जाता है। ज्ञापन पर समय-समय पर आयोजित बैठकों में समिति द्वारा विचार किया जाता है।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन का प्रारूप समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में तैयार किया जाता है। समिति के सभापति के अनुमोदन के पश्चात प्रारूप प्रतिवेदन के समिति के सदस्यों में परिचालित किया जाता है। प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिए समिति की बैठक में विचार किया जाता है। समिति द्वारा इसे स्वीकार करने व संबंधित मंत्रालय द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के पश्चात प्रतिवेदन को संगत कार्यवाही सारांशों के साथ सभापति अथवा सभापति द्वारा समिति के किसी प्राधिकृत सदस्य द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है।

तत्स्थानिक अध्ययन दौरा

संयुक्त समिति ने 16वीं लोक सभा और 17वीं लोक सभा के दौरान 'तत्स्थानिक' अध्ययन दौरा किया है।

संयुक्त समिति के सभापति तथा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति ने दूसरी लोक सभा से लेकर 03 फरवरी, 2022 तक 136 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। संयुक्त समिति के प्रतिवेदनों का लोक सभा – वार ब्योरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	लोक सभा का कार्यकाल	सभापति का नाम	कार्यकाल	प्रतिवेदन
1.	दूसरी लोक सभा	श्री सी. आर. पट्टाभि रमण	1957-1962	05
2.	तीसरी लोक सभा	श्री जी. एन. दीक्षित	1962-1967	05
3.	चौथी लोक सभा	श्री एस.आर. राणे श्री के. नारायण राव	1967-1970	07
4.	पांचवीं लोक सभा	श्री धरनीधर बासुमतारी श्री एस. बी. पी. पट्टाभि रामा राव	1971-1977	19
5.	छठी लोक सभा	--	1977-1980	--$
6.	सातवीं लोक सभा	श्री गुलशेर अहमद	1980-1984	12
7.	आठवीं लोक सभा	कुमारी कमला कुमारी	1984-1989	09
8.	नौवीं लोक सभा	--	1989-1991	--@
9.	दसवीं लोक सभा	श्री चिरंजी लाल शर्मा	1991-1996	13
10.	ग्यारहवीं लोक सभा	श्रीमती गीता मुखर्जी	1996-1998	03
11.	बारहवीं लोक सभा	श्री शैलेन्द्र कुमार	1998-1999	01
12.	तेरहवीं लोक सभा	श्री वीरेंद्र कुमार	1999-2004	08
13.	चौदहवीं लोक सभा	श्री चन्द्रभूषण सिंह	2004-2009	11
14.	पंद्रहवीं लोक सभा	श्री रेवती रमण सिंह	2009-2014	11
15.	सोलहवीं लोक सभा	श्री पी. पी. चौधरी डॉ. सत्यपाल सिंह श्री कलराज मिश्र	2014-2019	28
16.	सत्रहवीं लोक सभा	डॉ. सत्यपाल सिंह	2019-2024	04*

$ छठी लोक सभा के दौरान ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया।

@ नौवीं लोक सभा के दौरान कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

* जून, 2022 तक।